अध्याय 4
सदस्यों के भत्ते इत्यादि

27. सदस्यों इत्यादि को भत्तों का संदाय – समस्त भत्ते संबंधित पंचायती राज संस्था की निजी आय में से संदत्त किये जायेंगे।

28. भत्तों की दरें – पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए ऐसी संस्था के सदस्य को मानदेय और बैठक भत्ता ऐसी दरों पर देय होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाये।

29. दैनिक भत्ता – किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए ऐसी संस्था का सदस्य जब कभी वह किसी बैठक या पदीय कार्य में ऐसी पंचायती राज संस्था जिसका कि वह सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, उसके क्षेत्र के बाहर भाग लें, ऐसी दरों पर दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाये।

30. यात्रा भत्ता – यदि नियम 28 में यथा–उल्लिखित कोई भी व्यक्ति उस नियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए कोई यात्रा करता है तो वह तद्धीन उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के अतिरिक्त निधियों में से दोनों ओर की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार भी होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावे।

31. भत्तों के दावे –

(1) नियम 28 और 30 के अधीन अनुज्ञेय दैनिक और यात्रा भत्तों के लिए कोई दावा प्रपत्र सं.3 में लिखित में किया जायेगा।

(2) यात्रा और दैनिक भत्ते का दावा करने वाला कोई व्यक्ति इसके लिए अपने दावे पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अभिलिखित करेगाः–

(क) प्रमाणित किया जाता है कि मुझे कोई निःशुल्क वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया था,

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि दावाकृत यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार है और उसमें दावाकृत रकम सही है,

(ग) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस दावे के बारे में किसी भी स्रोत से पूर्व में कोई रकम दावाकृत प्राप्त नहीं की है,

(घ) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने वास्तव में यात्रा की है।

32. यात्रा भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर –सदस्यों के यात्रा भत्ता बिल संबंधित पंचायत राज संस्था के अध्यक्षों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

टिप्पणी

दिनांक 1 जून 1998 से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 41 (33) वि.प्र./89/3782 दिनांक 11.6.98 अनुसार निम्न प्रकार मानदेय एवं भत्ते देय हैं –

जन प्रतिनिधि	मानदेय (प्रतिमाह)
1. सरपंच	400/–
2. प्रधान, पंचायत समिति	2000/–
3. प्रमुख, जिला परिषद	3000/–

बैठक भत्ता

1. वार्ड पंच	20/– प्रति बैठक
2. सरपंच	30/– प्रति बैठक
3. सदस्य, पंचायत समिति	25/– प्रति बैठक
4. प्रधान पंचायत समिति	30/– प्रति बैठक
5. सदस्य, जिला परिषद	30/– प्रति बैठक
6. प्रमुख, जिला परिषद	40/– प्रति बैठक

यदि रेल/ बस की यात्रा मिलाने के कारण 8 घंटे से अधिक ठहरना पड़े तो 1 बैठक भत्ता देय होगा।

दैनिक भत्ता

अपने क्षेत्र से बाहर जाने पर यदि 8 घंटे से अधिक ठहराव हो तो ही दैनिक भत्ता देय होगा। पंच सरपंच को पंचायत सर्किल के अंदर कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। प्रशिक्षण आदि में यदि निशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था हो तो चौथाई दैनिक भत्ता ही देय होगा।

नियम 30 अनुसार डीलक्स बस या प्रथम श्रेणी टिकट का नम्बर यात्रा भत्ता बिल में दर्ज करना अनिवार्य है। साईकिल या पैदल के 25 पैसे प्रति किलोमीटर देय है। स्वयं की मोटर साईकिल, रिक्शा तांगे से यात्रा करने पर एक रूपया प्रति किलोमीटर देय है। पंच/सरपंच प्रधान/उप प्रधान या सदस्य द्वितीय श्रेणी का किराया एवं 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अनुसंगिक व्यय अधिकतम एक दैनिक भत्ते तक ले सकते हैं।

संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर , अजमेर ;भरतपुरद्ध पर सरपंच को 25/– रूपये एवं पंच को 20/– रूपये रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड से कार्यालय स्थल तक आने का व इतनी ही राशि जाने का किराया अतिरिक्त देय होगा।

दैनिक भत्ते की दरें (एफ 4(1) एल एण्ड जे/आर डी.पी./95/3478) दिनांक 3.10.95 आदेश अनुसार

पद	जयपुर के अलावा	जयपुर (प्रतिदिन)
1. सरपंच/उपसरपंच	32/–	40/–
2. प्रधान/उप प्रधान	65/–	80/–
3. प्रमुख/उप–प्रमुख	75/–	85/–
4. सदस्य पंचायत समिति	55/–	60/–
5. सदस्य जिला परिषद	70/–	80/–

यात्रा दिवसों की समय सीमा

नियम 338 में ऐसी सीमायें निर्धारित है। विभिन्न जन प्रतिनिधि प्रति वर्ष निम्न प्रकार यात्रा कर सकते हैं जिनका दैनिक भत्ता देय है –

1. सरपंच 24 दिन प्रति वर्ष
2. उप सरपंच 6 दिन प्रति वर्ष
3. प्रधान 60 दिन प्रति वर्ष
4. उप'प्रधान 15 दिन प्रति वर्ष
5. सदस्य पंचायत समिति 6 दिन प्रति वर्ष
6. प्रमुख 75 दिन प्रति वर्ष
7. उप प्रमुख 30 दिन प्रति वर्ष
8. सदस्य जिला परिषद् 15 दिन प्रति वर्ष

नोटः जिला प्रमुख द्वारा जीप के उपयोग की सीमा दिनांक 1.05.2005 से 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन प्रति माह कर दी गयी है।